18/7/19

नवीन प्रार्थी उप० / पुत्र: अवध चन्द
जख / पत्नी [illegible] आये हैं। बहस
में लम्बित है। पूर्व में कई बार बहस
हेतु अवसर दिये जा चुके हैं। गताङ्क में
भी अन्तिम अवसर दिया गया था। लिहाजा
नवीन प्रार्थी को बहस हेतु हिदायत की
गई। हिदायतोपरान्त नवीन प्रार्थी द्वारा
[illegible] प्रा० पत्र में अंकित तथ्यों को बहस में
दोहराते हुए जाहिर किया कि हाल अपील
में 18.8.17 ता० पेश नियत थी और अपीलान्ट
बीमार हो गये थे। इसलिये इलाज कराने

निरन्तर -----

बाबू / [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बाहर चले गए थे अपीलान्ट की ओर से जानबूझ कर गलती नहीं की है बल्कि बीमारी के कारण नियत दिनांक को उपस्थित होने में असमर्थ रहे हैं जो क्षमा योग्य है। प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना है है। अतः प्रा० पत्र बाजदावी स्वीकार कर मूल अपील को नम्बर पर लिए जाने की कृपा करें। वकील प्रार्थी की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। नियत दिनांक को अपीलान्ट का बीमार होना जाहिर किया है। एक प्रकरण के मेरिट पर निर्णित लिए जाने की मंशा जाहिर की है। न्यायहित में प्रा० पत्र बाजदावी स्वीकार किया जाता है। मूल अपील नम्बर पर ली जाती है। किन्तु अपील में अदालत का समय जाया नहीं हो, इसलिए में अदालत का समय जाया नहीं कोर्ट नियमित पैरवी सुनिश्चित हो। इस लिहाज से वकील प्रार्थी पर यह बाजदावी प्रा० पत्र 200/- रुपये की कॉस्ट पर स्वीकार किया जाता है। वकील प्रार्थी 200/- रु० की कॉस्ट की राशि विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराकर जमा रसीद आगामी पेशी पर प्रस्तुत करे। तदोपरान्त मूल अपील को नम्बर पर लिए जाने की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली वास्ते पेश करने जमा रसीद 29-7-19 को पेश हो। संभागीय आयुक्त	